



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15022021-225161
CG-DL-E-15022021-225161

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 72]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 15, 2021/माघ 26, 1942

No. 72]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 15, 2021/MAGHA 26, 1942

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2021

(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)

सं. पीआर/62/17-डीडी/87/17-डीसी/918/18.—चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) और 19(1) के साथ पठित, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने, सीए. अभिजीत बालकृष्ण गायकवाड़ (सदस्यता संख्या 122995), सी-307 और 308, मेगा सेंटर, द्वितीय तल, पुणे सोलापुर रोड, मगरपट्टा हड़पसर, पुणे 411 013 को, पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग 1 के खंड (7) और पहली अनुसूची के भाग 4 के खंड (2) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक और अन्य कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सीए. अभिजीत बालकृष्ण गायकवाड़ (सदस्यता संख्या 122995) के नाम को 01 (एक) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है। इसके अनुसरण में और चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि सीए. अभिजीत बालकृष्ण गायकवाड़ (सदस्यता संख्या 122995) का नाम, 15 फरवरी, 2021 से 01 (एक) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

राकेश सहगल, कार्यकारी सचिव
[विज्ञापन-III/4/असा./506/2020-21]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA**NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th February, 2021

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. PR/62/17-DD/87/17-DC/918/18.—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) and 19(1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Abhijit Balkrishna Gaikwad (Membership No. 122995), C-307 & 308, Mega Centre, Second Floor, Pune Solapur Road, Magarpatta Hadapsar, PUNE 411 013**, guilty of Professional and Other Misconduct falling within the meaning of Clause (7) of Part I of the Second Schedule and Clause (2) of Part IV of First Schedule to the aforesaid Act and consequently ordered for removal of the name of aforesaid CA. Abhijit Balkrishna Gaikwad (Membership No. 122995) from the Register of Members for a period of 01(one) month. In pursuance thereof and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the name of said **CA. Abhijit Balkrishna Gaikwad (Membership No. 122995)**, shall stand removed from the Register of Members for a period of 01(one) month with effect from 15th February, 2021.

RAKESH SEHGAL, Acting Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./506/2020-21]